

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन शाखा)

-: अधिघोषणा :-

संख्या- भू-अर्जन, कटिहार

- 2396/रफ, दिनांक- 30-09-13

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा हरखा थाना नं० 06 थाना कटिहार जिला कटिहार के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सड़क से हरखा मुसहरी टोला तक सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम हरखा थाना नं० 06 के भीतर एक भू-खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.13<sup>3</sup>/<sub>4</sub> एकड़ (पौने चौदह डिसमल) के बराबर होता है, जिसका खेसरा सं० 42.43 एवं 44 का अंश और जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर :- मौजा हरखा थाना नं० 6 का सर्वे खेसरा नं० 43 एवं 44  
दक्षिण :- मौजा हरखा थाना नं० 6 का सर्वे खेसरा नं० 42 एवं 43  
पूरब :- मौजा हरखा थाना नं० 6 का सर्वे खेसरा नं० 161  
पश्चिम :- कच्ची सड़क।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों एवं खनिजों का केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपभोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1-1984 की धारा 6 और अधिनियम 18-1885 की धारा 3 खण्ड (1)के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्सा भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में देखा जा सकता है।

विभागाध्यक्ष भू-अर्जन पदाधिकारी  
कटिहार

अवर समाहर्ता  
कटिहार

समाहर्ता  
कटिहार

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक- 2396/रफ/भू-अर्जन दिनांक 30-09-13  
प्रतिलिपि:- निदेशक, भू-अर्जन, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनोपरान्त प्रकाशन सूचना जिला भू-अर्जन कटिहार को दी जाय।  
प्रतिलिपि:- उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गजट प्रशाखा, कटिहार को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनोपरान्त 5-5 प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार/अंचल पदाधिकारी, हसनगंज/मुखिया ग्राम पंचायत राज हसनगंज को सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- अधियाची पदाधिकारी को सूचनार्थ।  
प्रतिलिपि:- हितवद्य रैयतों को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव